2024/11

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	5/24	23/1/2024		31/1/2024

निर्णित – 31/01/24

अनवान

श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री गोपाललाल S/o तुलसीराम जाति बलाव

निवासी बिजौलिया निवासी चित्तौड़गढ़ हाल सलावटिया, तह. बिजौ.

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री .... श्री ....

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/1 /2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/1/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
31/1/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया, वह प्रति वाद को आगे नहीं चलना चाहता है। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से विस्तृत रूप से लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। **उप खण्ड अधिकारी** **बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा**	बाद तामील प्राप्त गोपाल [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री बन्शी धर योगी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

दायर तारीख 23.01.2024

वादपत्र संख्या 05/2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. गोपाललाल पुत्र तुलसीराम जाति वैष्णव निवासी चित्तौड़गढ हाल मु. सलावटियां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31/01/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कास्यां, पटवार मण्डल कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 113 रकबा 0.2428 है0 किस्म बंजड भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 113 रकबा 0.2428 है0 किस्म बंजड भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही कर आराजी नं0 113 रकबा 0.2428 है0 किस्म बंजड भूमि पर खातेदार द्वारा मौके अवैध खनन होकर मलबा पड़ा हुआ हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादी की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

प्रतिवादी गोपाललाल पुत्र तुलसीराम जाति वैष्णव निवासी चित्तौड़गढ ने दिनांक 31.01.2024 को उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 28 ग्राम कास्यां, पटवार मण्डल कास्यां की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 18.01.2024 की प्रति, नक्शा ट्रेस, गुगल फोटो, मौके की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम कास्यां, पटवार मण्डल कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 113 रकबा 0.2428 है0 किस्म बंजड भूमि पर खातेदार द्वारा मौके अवैध खनन होकर मलबा पड़ा हुआ एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही करना चाहा। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कास्यां, पटवार मण्डल कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 113 रकबा 0.2428 है0 किस्म बंजड भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 31 / 01 / 2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बन्शी धर योगी)
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बइजलास श्री बन्शी धर योगी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 05/2024 दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. गोपाललाल पुत्र तुलसीराम जाति वैष्णव निवासी चित्तौड़गढ हाल मु. सलावटियां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :31/01/2024

डिक्री दिनांक :31/01/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एवं प्रतिवादी गोपाललाल मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिक्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रुप से डिक्री** किया जाकर ग्राम कास्यां, पटवार मण्डल कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 113 रकबा 0.2428 है0 किस्म बंजड भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख31/01/2024 को जारी की गई।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा